न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी लोकेश कुमार गौतम (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2022/19 दायर दिनांक 08.04.2022

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान) –सायल–

बनाम

प्रमोद कुमार पुत्र सन्तोष कुमार जाति ब्राहम्ण उम्र 43 साल निवासी वार्ड नम्बर 06 दादाबाड़ी के सामने चूरू पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू। –गैरसायल–

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :–

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल**
2. **अधिवक्ता श्री शेरसिंह पूनियां वास्ते गैरसायल**

निर्णय दिनांक : 14.09.2023

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल प्रमोद कुमार पुत्र सन्तोष कुमार जाति ब्राहम्ण उम्र 43 साल निवासी वार्ड नम्बर 06 दादाबाड़ी के सामने चूरू पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू का रहने वाला है, जो अवैध जुआ सट्टा की खाईवाली करने का आदि है। समाज के नव युवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :–

क्र.स.	मुकदमा नम्बर मय दिनांक	जुर्म धारा	नाम थाना	चालान दिनांक	जे.एफ. नम्बर	नतीजा अदालत
1.	53/05.03.2012	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	16.03.2012	233/2012	सजा 16.03.2012
2.	145/12.05.2013	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	29.05.2013	478/2013	सजा 29.05.2013
3.	33/09.08.2014	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	13.08.2014	621/2014	पैण्डिग कोर्ट
4.	132/12.05.2015	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	02.06.2015	10/2015	पैण्डिग कोर्ट
5.	191/03.07.2015	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	18.08.2015	16/2015	पैण्डिग कोर्ट
6.	176/31.07.2016	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	23.08.2016	35/2016	सजा 23.08.2016
7.	30/10.02.2017	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	01.11.2017	450/2017	पैण्डिग कोर्ट
8.	236/22.11.2017	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	19.12.2017	808/2017	सजा 19.12.2017
9.	244/20.10.2020	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	12.12.2020	826/2020	सजा 22.12.2020
10.	210/21.08.2021	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	02.09.2021	301/2021	पैण्डिग कोर्ट
11.	142/21.07.2016	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	06.08.2016	31/2016	पैण्डिग कोर्ट

अतः इस्तगासा विरुद्ध प्रमोद कुमार पुत्र सन्तोष कुमार जाति ब्राहम्ण उम्र 43 साल निवासी वार्ड नम्बर 06 दादाबाड़ी के सामने चूरू पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही फरमाने का आदेश फरमावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

2022/19

पुलिस अधिक्षक चूरू बनाम प्रमोद कुमार

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री शेरसिंह पूनिया ने वकालतनामा पेश किया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता ने प्रकरण में जवाब दिनांक 23.09.2022 को पेश किया। अधिवक्ता ने जवाब में अंकित किया कि गैरसायल पर पुलिस द्वारा जानबुझकर धारा 13 आरपीजीओ के तहत कार्यवाही कर मुकदमों की संख्या बढ़ाने के लिए झूठे मुकदमें दर्ज किये है। यह की गैरसायल गरीब व्यक्ति है, बाल बच्चेदार है तथा मजदूरी करके बच्चों का भरण पोषण करता है। गैरसायल द्वारा काफी समय से किसी भी प्रकार का जुआ सट्टा व अन्य प्रकरण दर्ज नहीं है तथा भविष्य में भी किसी प्रकार का अपराध नहीं करेगा। अतः उक्त प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 11 बार, 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैरसायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

गैरसायल अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में प्रस्तुत तथ्यो को दौहराते हुए कहा कि गैरसायल गरीब व्यक्ति है, बाल बच्चेदार है तथा मजदूरी करके बच्चों का भरण पोषण करता है। गैरसायल द्वारा काफी समय से किसी भी प्रकार का जुआ सट्टा व अन्य प्रकरण दर्ज नहीं है। पुलिस वाले जानबुझकर मुकदमा दर्ज कर गैरसायल को न्यायालय में पेश कर 100/रूपये जुर्माना की रसीद सम्बन्धित पुलिस कर्मी द्वारा ही कटवाकर मुकदमें का निस्तारण कर देते है। गैरसायल वृद्ध हो चुका है तथा काफी समय से किसी प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप फरमाने की कृपा करें।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू व गैरसायल अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 11 बार, 13 आरपीजीओ में दिनांक 05.03.2012, 12.05.2013, 09.08.2014, 12.05.2015, 03.07.2015, 31.07.2016, 10.02.2017, 22.11.2017, 20.10.2020, 21.08.2021 व 21.07.2016 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल प्रमोद कुमार पुत्र सन्तोष कुमार जाति ब्राहम्ण उम्र 43 साल निवासी वार्ड नम्बर 06 दादाबाड़ी के सामने चूरू पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल प्रमोद कुमार पुत्र सन्तोष कुमार जाति ब्राहम्ण उम्र 43 साल निवासी वार्ड नम्बर 06 दादाबाड़ी के सामने चूरू पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरू गैरसायल प्रमोद कुमार को थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

2022/19

पुलिस अधिक्षक चूरू बनाम प्रमोद कुमार

पुलिस थाना कोतवाली चूरू व थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/9

(लोकेश कुमार गौतम)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू